

>

Title: Need to address the problem of shortage of Fertilizers and ensure its easy availability to farmers in Uttar Pradesh.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): नियम 377 के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि खरी फसलों की बुआई के लिए किसान डीएपी के लिए परेशान हैं। हर तरफ खाद एवं उर्वरक की समस्या से किसान त्रस्त दिखाई दे रहा है। उ.प्र. में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता का दावा किया गया है लेकिन डीएपी और यूरिया जैसी खाद सरकारी केन्द्रों से गायब है। सहकारी गोदामों में ताले लगे हैं तथा उर्वरक विक्रेताओं के यहां "नो स्टॉक" का बोर्ड लगा हुआ है। मजबूरन किसानों को अन्य स्रोतों से खाद खरीदनी पड़ रही है जिसके चलते 297 रुपये प्रति बोरी यूरिया आज 1000 रुपये में खरीदनी पड़ रही है।

पूरे प्रदेश में उर्वरक की अनुपलब्धता संबंधी खबरें भी रोज अखबार में देखी एवं पढ़ी जा सकती हैं। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाकर किसानों की समस्याओं को अविलंब दूर करने की अति आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा भेजी जा रही उर्वरक किसानों को उचित दामों में उपलब्ध न होने से पूरे प्रदेश में समस्या बनी हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर की अधिकांश सहकारी समितियों पर ताले लगे हुए हैं। कुछ एक केन्द्रों पर उर्वरक की आपूर्ति अपर्याप्त मात्रा में की गई, जिसके कारण अधिकांश किसान महंगा खाद खरीदने को मजबूर हैं।

सरकार से मेरी यह मांग है कि रासायनिक खाद के वितरण की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दी जाए तथा जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना लिखित रूप में दी जाए। उपजिलाधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रह कर अपनी निगरानी में खाद वितरण सुनिश्चित कराएं।